उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या–1270–कार्य / चौदह–पाकालि / 2019–14–के / 2019 दिनांकः 19 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसके नियन्त्रणाधीन सभी वितरण निगमों तथा केस्को कानपुर के उपकेन्द्रों, कार्यालयों एवं आवासीय कालोनियों में जल संरक्षण के उद्देश्य से "वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि :–

(अ) प्रस्तावित / प्रारम्भिक अवस्था में निर्माणाधीन उपकेन्द्रों, कार्यालयों एवं आवासीय कालोनियों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य को अनिवार्य रूप से मुख्य कार्य में सम्मिलित कर लिया जाये।

(ब) समस्त वितरण निगमों एवं केस्को के अन्तर्गत चिन्हित आदर्श उपकेन्द्रों में अनिवार्य रूप से "वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" स्थापित किया जायेगा।

(स) अन्य पुराने उपकेन्द्रों, कार्यालयों एवं आवासीय कालोनियों में इस कार्य को समरूपता एवं चरणबद्ध तरीके से सम्पादित किये जाने हेतु, मुख्य अभियन्ता, जानपद पारेषण–द्वितीय लखनऊ एक विस्तृत कार्ययोजना बनाएगें, जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं का प्रमुख रूप से समावेश होगाः–

1. किन उपकेन्द्रों, कार्यालयों एवं आवासीय कालोनियों पर इसे तकनीकी दृष्टिकोण से लगाया जाना समीचीन होगा।
2. चिन्हित किये गये उपकेन्द्रों और भवनों के अनुरूप "वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" की ''तकनीकी विशिष्टीकरण'' क्या होगी।
3. प्राक्कलन में किन बिन्दुओं को समाहित किया जाना होगा तथा इस कार्य पर कुल कितना व्यय आयेगा।
4. कितने चरणों में इस कार्य को सम्पादित किया जाना होगा।

उपरोक्त कार्ययोजना का मुख्य अभियन्ता, जानपद पारेषण–द्वितीय 15 दिनों की समयावधि में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगें। अनुमोदनोपरान्त, इस कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देशों से क्षेत्रीय अधिकारियों को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त, वितरण निगमों में तैनात समस्त मुख्य अभियन्ता (जानपद) तथा केस्को में तैनात अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को भी यह निदेशित किया जाता है कि वे अभी से उन स्थलों को चिन्हित कर लें जहाँ पर "वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" को स्थापित किया जाना है, ताकि मुख्यालय स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होते ही तत्सम्बन्धी प्राक्कलन शीघ्रातिशीघ्र बनाकर "वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

अध्यक्ष

संख्या–1270–कार्य / चौदह–पाकालि / 2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः.......2

3. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
7. अपर.सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वितीय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (जानपद), समस्त डिस्काम।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता (जानपद), केस्को, कानपुर।
14. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)